न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 875 / 2020

प्रार्थीयाः— अमुकंवर पत्नी फतेहसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः— श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी — अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा।

अप्रार्थी — सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांकः—25/12/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम थोब के खसरा नम्बर 1569 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा की आई हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम अम्बाकंवर पत्नी फतेहसिंह दर्ज है। जो गलत है। मेरे सभी दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम अमूकंवर पत्नी फतेहसिंह दर्ज है। मेरे राजस्व रेकर्ड में व अन्य दस्तावेजात में नाम में भिन्नता होने के कारण मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम अम्बाकंवर पत्नी फतेहसिंह के स्थान पर अमूकंवर पत्नी फतेहसिंह दर्ज करवाना चाहती हूँ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि मुझ प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1569 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा ग्राम थोब तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम अम्बाकंवर पत्नी फतेहसिंह के स्थान पर अमूकंवर पत्नी फतेहसिंह दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त करने का आदेश फरमावें।

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह है कि बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया का सही नाम अमुकंवर पत्नी फतेहसिंह है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1569 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, ग्राम थोब तहसील ओसियां राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम अम्बाकंवर पत्नी फतेहसिंह के स्थान पर अमूकंवर पत्नी फतेहसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, ओसियां
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 25/2/202 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, ओसियां
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner